

न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)

जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ० प्र०)

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०) आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

उ० प्र० राज्य

अपराध संख्या-27/2026

प्रति

धारा- 87, 137(2), 64(2)M, 65(1) बी.एन.एस.

व धारा- 5L/6 पॉक्सो एक्ट

परवेज

थाना- गैडास बुजुर्ग

जनपद-बलरामपुर, (उ०प्र०)।

दिनांक 19.05.2026

उपस्थिति:-

राज्य की ओर से श्री पवन कुमार वर्मा उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री वसीउल हसन उपस्थित है।

पुलिस थाना-गैडास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर के विवेचक किसलय मिश्रा द्वारा अपराध क्र० सं०-27/2026 अन्तर्गत जुर्म दफा-87, 137(2), 64(2)M, 65(1) बी.एन.एस. व धारा- 5L/6 पॉक्सो एक्ट पुलिस थाना-गैडास बुजुर्ग में नामित अभियुक्त परवेज उम्र 23 वर्ष पुत्र शाहबुल्ला निवासी कंचनपुर मोहम्मदपुर बंजरहा थाना गैडास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत अभियोग पत्र अपराध का संज्ञान लिये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अभियोग पत्र में उल्लिखित अपराध का संज्ञान लेने के सम्बन्ध में बचावपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा कोई लिखित या मौखिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

था विचारण की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अभियोग पत्र में पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार मौजूद हैं। अभियोग पत्र उचित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। फलतः निम्नांकित आदेश किया जाता है।

आदेश

अभियुक्त-अभियुक्त अभियुक्त परवेज उम्र 23 वर्ष पुत्र शाहबुल्ला निवासी कंचनपुर मोहम्मदपुर बंजरहा थाना गैडास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) के विरुद्ध अपराध क्र० सं०-27/2026 अन्तर्गत जुर्म दफा- 87, 137(2), 64(2)M, 65(1) बी.एन.एस. व धारा- 5L/6 पॉक्सो एक्ट के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध का संज्ञान लिया जाता है। कार्यालय लिपिक सूची अनुसार दस्तावेजों का मिलान कर अभियोग पत्र पर टीप अंकित करे। रिमाण्ड कार्यवाही की नत्थी इस प्रकरण के साथ संलग्न की जावे। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसका धारा-187 भा०ना०सु०सं० के अन्तर्गत जेल वारंट निरस्त कर धारा-346 भा०ना०सु०सं० का जेल वारंट बनाया जावे।

आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

दिनांक-19.05.2026

(राहुल सिंह-II)

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट

बलरामपुर (उ० प्र०)